राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12441/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन सचिव स्वायत शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 11-6-17के द्वारा अपीलार्थी ने दिनांक 29-3-17 को 54 आवेदन आर.टी.आई एक्ट 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत तथा 54 आवेदन आर.टी.आई.एक्ट 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत दिनांक 30-4-17 को रजिर्स्टड पोस्ट से प्रस्तुत किये, उक्त सभी आवेदनों को प्रत्यर्थी कार्यालय के आवक रजिस्टर में दर्ज किये गये हांे तो उसकी प्रतिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम-2005 की धारा 6 के तहत प्रेषित आवेदन पत्रों के आवक रजिस्टर मे दर्ज होने के संबंध में चाही गई सूचना हेतु 14 पृष्ठों के लिए 28 रू0 सूचना शुल्क की मांग पत्र दिनांक 23-6-17 के द्वारा की गई थी तथा अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं करवाये जाने के कारण उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम-2005 की धारा 19 के तहत प्रेषित प्रथम अपीलों का संबंध प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से होने के कारण वांछित सूचना हेतु उक्त वर्णित कार्यालय में सम्पर्क करने हेतु अपीलार्थी को पत्र दिनांक 23-6-17 से संसूचित कर दिया गया था।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के 54 सूचना के आवेदनों के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 23-6-17 से 28/- रू0 सूचना शुल्क की मांग की गई है जो अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवाये गये तथा 54 अपीलों के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु संसूचित किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में उल्लेखित प्रावधानों का सही रूप से पालन नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त